दिनांक- 25/07/2024

सेवा में –

माननीय अध्यक्ष महोदय
मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण
मुख्य ब्रांच नई दिल्ली भारत

विषय – ओ0ए0 संख्या 456/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम सत्यनरायण सिंह कंस्ट्रक्शन
ओ0ए0 संख्या 458/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम ईलिट स्टोन भगौती देई
ओ0ए0 संख्या 459/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम गंगा सागर सिंह
ओ0ए0 संख्या 460/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम निलमा सिंह
ओ0ए0 संख्या 461/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम राजेश भाई पटेल
ओ0ए0 संख्या 462/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम राजू स्टोन प्रोडक्ट
ओ0ए0 संख्या 463/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम रौफ खॉन
ओ0ए0 संख्या 464/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम श्री कृष्णा स्टोन केशर
ओ0ए0 संख्या 465/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम रिया इंटर प्राइजेज
ओ0ए0 संख्या 466/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम न्यू अष्टभुजा स्टोन
ओ0ए0 संख्या 467/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम श्री बजरंग स्टोन
ओ0ए0 संख्या 469/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम राजेश भाई पटेल स्टोन केशर युनिट के सम्बंध में–

महोदय्–

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी सम्पूर्णा नन्द पुत्र श्री कल्लू राम, ग्राम– भगौती देई पो0– पटिहटा, त0– चुनार जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0 का मूलनिवासी है तथा ओ0ए0 संख्या उपरोक्त सभी में आवेदक/पेटिशनर है।

महोदय उपरोक्त ओ0ए0 में कई केशर प्लांटों का संचालन क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0 के संस्तुति के बाद संचालित कर दिया गया है जबकि इनके रिपोर्ट में सिर्फ 7 बिंदूओं पर अनुपालन स्थिति के अनुसार केशर प्लांटों को संचालित करने का निर्यण यहां के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0 श्री उमेश गुप्ता जी ले रहें हैं वो भी अनुपालन नहीं हो रहा है। **सबसे विशेष ग्रीन बेल्ट के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है इनके द्वारा अभी तक किसी भी केशर प्लांट या खनन पट्टे के बारे में जबकि पहले, दूसरे व तीसरे बार भी संयुक्त समिति के जॉच में यह पाया गया किसी भी केशर प्लांट व खनन पट्टे के संचालकों द्वारा कोई भी ग्रीन बेल्ट विकसीत नहीं किया गया है** फिर भी क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0 श्री उमेश गुप्ता जी को पता नहीं कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त हो गया है कि इनको न तो किसी समिति के जॉच रिपोर्ट से मतलब है न तो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाइडलाइन से नहीं सीटीओ सीटीई से

तभी तो इनके द्वारा सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रख कर क्रेशर प्लांट और खनन पट्टों के अपने चहेते संचालकों को संचालन की अनुमति दिए जा रहे हैं। ऐसे में माननीय एनजीटी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि ओ0ए0 सं0 521/2022 के आधार पर रजिस्टर किए प्रश्नगत क्रेशर प्लांटों खनन पट्टों में से जिनका संचालन क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0 श्री उमेश गुप्ता जी के संस्तुति से किया जा रहा है उन्हे तत्काल बंद करते हुए उन सभी की जॉच एक केन्द्रीय संयुक्त समिति द्वारा किसी न्यायिक सदस्य के उपस्थिति में करवाई जाए साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0 श्री उमेश गुप्ता जी के भूमिका का भी जॉच कराया जाए की इनके द्वारा ऐसा क्यों और किस लिए किया जा रहा है। जिन क्रेशर प्लांटों और खनन पट्टों को दिनांक 06/03/2024 को सील किया गया था फिर भी ए लगातार चल रहें हैं जिसकी सूचना बराबर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र को हवाट्स ऐप पर विडियों भेज कर दिया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं किये न हीं इनका संचालन ही बंद करवा सकें। क्षेत्र की अधिकांश क्रेशर प्लांटों का संचालन बंदी आदेश यहां तक कि सील होने के बाद भी एक चिंता का विषय है और माननीय न्यायालय के आदेशों का अवहेलना है जिसके दोषी जितना क्रेशर प्लांट मालिक हैं उससे कहीं ज्यादा यहां के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0 श्रीमान उमेश गुप्ता जी हैं जो अपने कार्य के प्रति और सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। महोदय सील होने के बाद भी जो प्लांट संचालित हो रहे हैं उनका विडियों आवेदक के पास है जो जियों टैगिंग के साथ बनाया गया है जिसे माननीय अधिकरण के निर्देशानुसार सीडी या पैनड्राइव में करके देगा।

प्रार्थी के मांगें गए जनसूचना के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र के पत्र संदर्भ सं0– जी 000177/ओ0जी0– 23/2023/vol-14 दिनांक – 06/03/2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्टोन क्रेशर प्लांट ईकाईयों के सम्बंध में निर्धारित किए गए गाइडलान्स की मुख्य बिन्दू निम्नलिखित है –

गाइडलाइन 2020 के अनुसार–

1– राष्ट्रीय/राज्य मार्ग की सड़क के मध्य से कम से कम 250 मीटर तथा अन्य मार्गो जिला मार्ग/मुख्य जिला मार्ग की सड़क के मध्य से कम से कम 100 मीटर दूर ईकाई को स्थापित किया जाएगा।

2– आबादी / सार्वजनिक स्थल/शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल/धार्मिक स्थल से न्यूनतक दूरी 500 मीटर रखी जाए।

लेकिन कई क्रेशर प्लांटों की न्यूनतम दूरी निर्धारीत दूरी से कम है फिर भी संचालित हो रहे हैं।

3– ईकाई के चारो तरफ कम से कम 33 प्रतिशत भू–भाग पर धूल कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ की हरित पट्टीका विकास करने की कार्यवाही स्थापनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त 6 महीने में पूरी करनी होगी।

लेकिन किसी भी केशर संचालक द्वारा आजतक ऐसा नहीं किया गया ।

4–धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियों को इकाई मालिक द्वारा स्वयं के खर्चे पर स्थापित करने होंगे। और इकाई में अनवरत कार्यरत रखने की जिम्मेदारी इकाई स्वामी की होगी।

लेकिन किसी भी केशर संचालक द्वारा ऐसे कोई उपाय नहीं किए गए।

5– ऐसे स्टोन केशर इकाईयां जो कि नवीन गाइडलाइन के लागू होने के उपरान्त स्थापिन की जाएगी उनके द्वारा उद्योग परिसर के चारों ओर लघु श्रेणी के स्टोन केशर इकाईयों हेतू न्यूनतम 5 मीटर ऊंची तथा मध्यम एवं वृहद श्रेणी की स्टोन केशर इकाईयों हेतु न्युनतम 6 मीटर ऊंची विण्ड ब्रेकिंगवाल का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा। विण्ड ब्रेकिंग वाल सबसे ऊंची कन्वेयर बेल्ट से न्यूनतम 1 मीटर ऊंची होगी।

लेकिन किसी भी केशर संचालक द्वारा ऐसे नहीं किया गया है सभी के कन्वेयर बेल्ट की ऊंचाई विण्ड ब्रेकिंग वाल से ज्यादा है साथ ही जो भी लोग विण्ड ब्रेकिंग वाल बनाएं हैं वो टीन का है तथा दो टीन के बीच में गैप बहुत ज्यादा किया गया है, और ऊंचाई भी मानक से बहुत कम है। जिस विण्ड ब्रेकिंग वाल ऊंचाई 16 फीट से अधिक हर हाल में होनी चाहिए वहीं 08–10 फीट ऊंचा विण्ड ब्रेकिंग वाल बनाया गया है।

6– क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र जनसूचना सं0 जी 000177/ओ0जी0–23/2023/vol-14 दिनांक– 06/03/2023 के बिन्दू 18 के अनुसार किसी भी स्थान पर भण्डारित पदार्थ (कच्चा या उत्पादित) की अधिकतम ऊचाई बिण्ड ब्रेकिंगवाल की ऊचाई से 1.5 मीटर कम रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

लेकिन क्षेत्र में संचालित अधिकांश केशर प्लांटों पर उत्पादित पदार्थ की ऊचाई 80–100 फीट है।

7– जिन 5 केशर प्लांटों को यह बताकर संचालित रखने का फैसला उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कि वे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए सहमती पत्र का अनुपालन कर रहे हैं ।

(3)

उनके बारे में यह कहना है कि वे भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए सहमती पत्र का अनुपालन नहीं कर रहे हैं । **क्योंकि इन केशर प्लांटों और स्कूल, बस्ती, धार्मिक स्थल के बीच की न्यूनतम दूरी 500 मीटर से कम है। और उचित मात्रा में हरित पट्टीका भी विकशित नहीं किया गया है, बाउण्ड्रीवाल की ऊचाई भी** उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाइन के मानक अनुरुप नहीं है।

प्रार्थना– श्रीमान जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि ओ0ए0 सं0 521/2022 के आधार पर रजिस्टर किए प्रश्नगत केशर प्लांटों खनन पट्टों में से जिनका संचालन क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0 श्री उमेश गुप्ता जी के संस्तुति से किया जा रहा है उन्हे तत्काल बंद करते हुए उन सभी की जॉच एक केन्द्रीय संयुक्त समिति द्वारा किसी न्यायिक सदस्य के उपस्थिति में करवाई जाए साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0 श्री उमेश गुप्ता जी के भूमिका का भी जॉच कराया जाए की इनके द्वारा ऐसा क्यों और किस लिए किया जा रहा है। आपकी महान कृपा होगी।

प्रार्थी

Sampurnanand

सम्पूर्णा नन्द 25/07/2024

ग्राम– भगौती देई पो0– पटिहटा

त0– चुनार, जनपद– मिर्जापुर

उ0प्र0 पिन–231304

दिनांक- 25/07/2024

(4)